

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश .

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 01 अगस्त, 2017

Dy.Comm(Admn.) Gorakhpur


Commercial Tax,Region- Gorakhpur-A

शासनादेश संख्या क0नि0 4-799/11-2017-300(8)/14 दिनांक 31/07/2017 द्वारा दी गयी स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-क0नि0-4-798/11-2017-300(8)/14 दिनांक 31/07/2017 द्वारा दी गयी पुनर्विनियोग की स्वीकृति के क्रम में एवं ज्वाइंट कमिश्नर(वाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्र संख्या-133 दिनांक 02/05/2017 द्वारा की गयी माँग के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत वाणिज्य कर आयकत का आधष्ठान क अधान सलग्न त्वरण क अनुसार मानक मद-42-अन्य व्यय(मतदेय) की मद में मा0उच्च न्यायालय पीठ, लखनऊ के निर्णय दिनांक 25/02/2004 व मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/10/2013 के समादर में फ्लार्ई ऐश युक्त सीमेन्ट के समव्यवहार पर व्यापारियों द्वारा अण्डर प्रोटस्ट जमा कर पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि रु0 69,12,345/- (रुपये उनहत्तर लाख बारह हजार तीन सौ पैतालिस मात्र) का आवंटन किया जाता है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये ।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।



( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पु0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिवेदन : निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, Gorakhpur
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3:- ज्वाइंट कमिश्नर(वाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

Dy.Comm(Admn.) Gorakhpur

Commercial Tax,Region- Gorakhpur-A

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-799/11-2017-300(8)/14 दिनांक 31/07/2017 द्वारा दी गयी स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-क0नि0-4-798/11-2017-300(8)/14 दिनांक 31/07/2017 द्वारा दी गयी पुनर्विनियोग की स्वीकृति के क्रम में एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्र संख्या-133 दिनांक 02/05/2017 द्वारा की गयी माँग के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2040-बिक्री,व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान" के अधीन मंगलान वितरण के अनुसार मानक मद 12 अन्य व्यय(मतदेय) की मद में मा0उच्च न्यायालय पीठ, लखनऊ के निर्णय दिनांक 25/02/2004 व मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/10/2013 के समादर में फ्लॉई पेश युक्त गीमेन्ट के समव्यवहार पर व्यापारियों द्वारा अण्डर प्रोटैस्ट जमा कर पर देय व्याज के भुगतान हेतु धनराशि रु0 69,12,345/- (रुपये उनहत्तर लाख बारह हजार तीन सौ पैतालिस मात्र) का आवंटन किया जाता है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये ।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।पु0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, Gorakhpur
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0,कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3:- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

आयुक्त- वाणिज्य कर

आवंटन आदेश संख्या: 042-B-1-5\_BUDGET-2017-2018/325

कोषागार: 32 - गोरखपुर

अधिकारी / जनपद का संख्या: 4752 - सहा0 आयुक्त(ए)/ उप

आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट)

अनुदान संख्या: 89 - संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

लेखाशीर्षक: 2040 - विक्री, व्यापार आदि पर कर

800 - अन्य व्यय

03 - वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

कोषागार: गोरखपुर

आवंटन तिथि: 01/08/2017

वित्तीय वर्ष: 2017-2018

अधिकारी कार्यालय संख्या:

01 - -

आयोजनेतर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
12 अन्य व्यय	0	6912345	6912345
योग :	0	6912345	6912345

(सुभाष चन्द्र यादव)

अपर आयुक्त लेखा